

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिड़ावा जिला झालावाड (राज.)

पीठारसीन अधिकारी :- दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं० 10/2024

दायर दिनांक: 05.02.2024

उनवान

राजकुमार पि. मांगीलाल जाति दांगी नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल

- वादी

बनाम

1. रामलाल पि. मांगीलाल जाति दांगी नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल

2. राजस्थान सरकार जर्घे तहसीलदार तहसील सुनेल जिला झालावाड

- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट व धारा 136 एल.आर.एक्ट

आदेश

दिनांक : 24/07/2025

वादी राजकुमार पि. मांगीलाल जाति दांगी नि. ढाबलाखीची तहसील सुनेल के खाता दुरुस्ती वादपत्र पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों/रेकार्ड, राजकुमार का आधारकार्ड (860651415589), परिवार राशनकार्ड (010507200311), भारत निर्वाचन आयोग का पहचान पत्र (RJ/15/119/315164), जनाधार कार्ड (5011771118), पेनकार्ड (FXXPR9303G), ग्राम ढाबलाखीची का खाता सं. 456 जमाबंदी सं. 2075-78, ग्राम ढाबली का नामा.सं. 828 दिनांक 22.03.1976, प्रतिवादी सं. 1 का स्वीकरात्मक जवाब, साक्ष्य गवाह नन्दकिशोर पि. बालाराम व बालचन्द पि. रामलाल PW-1 To PW-2 के शपथपत्र एवं तहसीलदार सुनेल की जांच रिपोर्ट पत्रांक 1174 दिनांक 26.11.2024 के आधार पर यह तथ्य स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि को खरीद करते समय वादी नाबालिग था एवं वर्तमान में विक्रेता खातेदार नाथू पि. नन्दा के फोट हो जाने तथा वादग्रस्त आराजी के बेचान को करीब 49 वर्ष हो जाने से शुद्धिपत्र का शुल्क 500/- राजकोष में जमा करवाने की शर्त पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ढाबली पटवार मण्डल ढाबलाखीची




उपखण्ड अधिकारी

पिड़ावा, जिला झालावाड (राज.)

तहसील सुनेल की जगाबन्दी सम्वत 2074-77 के खाता संख्या 209 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि (वादी का नाम) को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है -


क्रम संख्या	ग्राम/पटवार मण्डल/तहसील	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी हैं)
1	ग्राम ढाबली पटवार मण्डल ढाबलाखीची तहसील सुनेल	209	नोनीलाल पि. मांगीलाल	राजकुमार पि. मांगीलाल

क्रमांक:- राजस्व/2025/

  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज०  
पिडावा, जिला झालावाड राज०।  
दिनांक 24/07/2025

प्रतिलिपी - तहसीलदार सुनेल को भेजकर लेख है कि शुद्धिपत्र का शुल्क 500/- राजकोष में जमा करवाने के उपरांत आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।



  
उपखण्ड अधिकारी पिडावा  
जिला झालावाड राज०  
पिडावा, जिला झालावाड राज०।